CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Article 102)

Shri K. R. Ganesh (Andaman and Nicobar Islands): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri K. R. Ganesh: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(Amendment of Articles 37, 45, etc.)

by Shri Madhu Limaye.

Mr. Deputy-Speaker: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Madhu Limaye on the 26th May, 1967, namely:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1967."

Only 30 minutes are left.

Dr. Lohia.

डा. राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये जी के बिल का समर्थन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसलिये कि राज्य में जितनी प्रेरणा होनी चाहिये। उतना ही दण्ड होना चाहिये। जितना संकल्प होना चाहिये उतना ही विधान होना चाहिये । अभी तक अक्षर शिक्षा क ख ग घ-प्राथमिक शिक्षा के मामले में और खाने पीने के मामले में भारतीय राज्य केवल प्रेरणा है और संकल्प भी है तो बहुत कच्चे किस्म का संकल्प है । मधु जी ने प्रयत्न किया है कि इस प्रेरणा और संकल्प को एक दण्ड और विधान का रूप दिया जाय, ताकि भारत की अदालतों को मौका मिल जाये कि वह इस संकल्प और प्रेरणा को तोड़ने वाले लोगों को उचित दण्ड दे सके ।

राज-दण्ड एक ऐसा शब्द है जो तीन हजार वर्षों से ज्यादा समय से हमारे तात्पर्य को अच्छी तरह से बताता है । मैं एक बाजारू मिसाल देकर कहता हूं कि मान लो, थोड़ी देर के लिये कोई आदमी कहे कि चोरी देश में रोको मठ बना कर, संकल्प बनाकर लोगों में प्रचार करके कि चोरी करना बहुत बुरा है और चोरी के सम्बन्ध में जितने कानून हैं उनको खत्म कर डालो—आज करीब करीब वही हालत है । प्राथमिक शिक्षा और भोजन के सम्बन्ध में कानून नहीं, ऐसा कानून जिसके आधार पर दण्ड दिया जा सके तो जो अभी मैंने उदाहरण दिया है कि चोरी और कत्ल के कानून को बिल्कुल हटा दो, हमारे ताजीरात हिन्द और दण्ड प्रक्रिया से और लोगों को आन्तरिक प्रेरणा और संकल्प पर ही छोड़ दो कि वे चोरी न करें तो जो अवस्था होगी वही अवस्था आज भोजन और प्राथमिक शिक्षा की हो रही है ।

भोजन की विशेष तौर से, क्योंकि मैं आपसे बार बार इस बात को कहना चाहता हूं और कह चुका हूं कि आज भी केवल बिहार में तीन चार हजार आदमी रोज बिन-खाये हुये मर रहे हैं और जुलाई-अगस्त में उत्तर प्रदेश और बिहार में सम्भवतया 10—20 लाख आदमियों की मौत होने जा रही है । ऐसे समय में प्रश्न उठता है कि जिस राज्य में ..... (व्यवधान) ...

बार बार मुझे टोकते चले जाते हो—वह सरकार नहीं, वे तो पटवारी हैं। कलक्टर यहां बैठे हुए हैं, पटवारी वहां बैठे हुए हैं, पटवारी के नाम पर हजार बात सुनाना

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 9 June, 1967.

[डा० राम मनोहर लोहिया]

चाहते हो, उस से कुछ नहीं होगा, कलेक्टर ज्यादा जिम्मेदार है । एक सामयिक दृष्टि लेकर चलें तो पटवारी भी खराब है, लेकिन वह कुछ कोशिश तो कर रहा है और उस पटवारी की तरफदारी मेरे जैसा आदमी करने की कोशिश कर रहा है । ..... व्यवधान ..... अच्छा है मुझको तो वक्त मिल जायगा, इस कलेक्टर को और दस बात सुना दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आज इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि जब तक इनके ऊपर कोड़ा नहीं चलाओगे—आप कोड़ा जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय ? जिसकी मूठ लकड़ी की होती है और रस्सी चमड़े की होती है—वह कोड़ा आज मधु जी ने दिया है जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि खाली संकल्प नहीं करेगा प्रेरणा, नहीं देगा कि भोजन हो, बल्कि राज्य का कर्तव्य हो जायगा कि वह भोजन दे और कभी राज्य के प्रतिनिधि लोगों को भोजन न दे सके, तो फिर उनके ऊपर अदालत में कानूनी कार्यवाही करके—मैं समझता हूं ऐसा कानून होने पर—उनको जेल भेजा जा सकेगा ।

15.45 hrs.

[SHRI MANOHARAM *in the Chair*]

इसी तरह से जब प्राथमिक शिक्षा बच्चों को नहीं मिलेगी और इन मंत्रियों को और अफसरों को डर रहेगा कि अदालत में कोई आदमी जाकर इनके ऊपर मुकदमा चला कर इनको जेल भिजवा सकता है—मैं ज्यादा लम्बी सजा को बुरा समझता हूं, मैं फांसी को कतई खराब चीज समझता हूं, जिस आदमी को जान के देने का रास्ता नहीं मालूम, उसको कभी किसी की जान नहीं लेनी चाहिये । यह मेरा सिद्धान्त रहा है, वर्ना इस वक्त भोजन के सम्बन्ध में फांसी की बात हो सकती थी । जब यह सजा होगी, तब उसके बाद संकल्प में वह शक्ति आयेगी, कि फिर आप देखेंगे—मैंने इसको अभी पूरा पढ़ा नहीं था लेकिन कई अरब रुपये का खर्च इसमें बताया गया है, हो सकता है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय और उनकी सरकार उसी को पढ़ कर घबरा जाय, लेकिन जहां एक तरफ दण्ड और सजा और दूसरी तरफ संकल्प का योग हो जायेगा, अन्दर की प्रेरणा का और बाहर के कोड़े का योग हो जायगा—इस बात की सम्भावना है कि हम लोग स्वयंसेवकों के द्वारा साक्षरता के स्वयंसेवकों के द्वारा शायद कम खर्चा करते हुए भी अपने देश को बहुत जल्द साक्षर बना पायेंगे । उसी तरीके से गड़बड़ यह हो रही है कि आज हमारे 50 करोड़ आदमी हैं उन में से हम केवल 50 लाख 1 करोड़ या 2 करोड़ की बात सोचते हैं और यह मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि खाली उधर वाले नहीं इधर वाले भी हम लोग भी हिसाब लगाते हैं आय व्यय रुपये के हिसाब से । हम हिसाब यह नहीं लगाते कि हमारे यहां 45 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो गरीबी की दलदल और गर्क में इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि अब उनको कोई लोभ लालच अथवा प्रेरणा जगा नहीं सकती । उनको जगाने का एक मात्र उपाय है कि उनके सामने बहुत बड़ा आदर्श आ जाय और वह आदर्श मेरी समझ में एक ही हो सकता है । समता के द्वारा समृद्धि और समृद्धि के द्वारा समता ।

मैं उन में से नहीं हूं जो समझते हैं केवल समता कर दो तो सारा देश बिलकुल खुशहाल हो जाएगा । खुशहाली और समता दोनों में अन्योन्याश्रित का संबंध करते हुए चलना पड़ेगा और इसीलिए जब कभी मेरा जैसा आदमी कोई बात कहना चाहता है तो अफसोस तो यह है कि दोनों तरफ से हल्ला होने लगता है और हमारे जैसे आदमी को ठीक वही गति हो जाती है कि दो पाटन के बीच में जीवित बचा न कोय । यह पाट ऐसे हैं कि जो जरा जरा सी बातों पर बेमतलब गरमी ले लेते

हैं। मैंने आज सुबह भी कहा कि गरमी लेने में कहीं कोई कम नहीं है न इधर के न उधर के लेकिन जैसा मैं ने कहा वही बेमतलब गरमी ले लेते हैं। न इधर के किसी ने कहा कि एक सिपाही नासिर को भेजो और न उधर के किसी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। कि इजरायल को एक सिपाही भेजो। डांगे साहब ने भी नहीं कहा कि नासिर को एक सिपाही भेजो लेकिन दोनों क्या खूब आपस में लड़ गये? अब भारतीयों की तबियत कुछ होती है कि फिजूल की बात के ऊपर गरम हो जाना और लड़ जाना। कर्म और संकल्प के ऊपर लड़ने वाली तबियत नहीं है। आप मेरे जैसे आदमी को समझें। मैं आस्तीन नहीं चढ़ाना चाहता। इस तरह से आस्तीन चढ़ाना यह काम आप लोगों का है। मेरा काम है आस्तीन ऐसी पड़ी रहे और फिर अपने देश को सही रास्ते पर लाने के लिए संकल्प और दण्ड प्रेरणा और विधान, दोनों का जोड़ लगा कर ऐसी अवस्था पैदा की जाय कि कम से कम इन दो मामलों में, भोजन और प्राथमिक शिक्षा के मामले में हम उन 45 करोड़ आदमियों को उठा सकें। मैं ने पहले कहा कि आय व्यय रुपये के हिसाब से हम लगाते हैं और उस तरह से आप मत सोचिये क्योंकि यह 45 करोड़ जो अर्ध मुर्दा हैं तीन चौथाई मुर्दा हैं। आज उन को कोई प्रेरणा नहीं रही है। जितनी भी बहस यहां संसद में या और कहीं चलती है यह केवल 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। यह नक्ली है। एक तरीके का नाटक है और इस नाटक में भी अब दम नहीं रह गया है। वह जो 45 करोड़ लोग हैं अगर उन में प्रेरणा लाना है तो आज कुछ भी इन के शरीर में नहीं रह गया है। पहले जो जिस जगह भी मैं जाता था, अबतो वह आदत बहुत कम हो गयी है कि जब मैं गांव में जाता हूं और जहां लोगों को भोजन नहीं मिलता तो उन की मांसपेशियों को जरा छू कर देखता हूं। मैं सभापति महोदय, आप से कहना चाहता हूं कि आज 40–50 सैकड़ा आबादी की मांसपेशियां खत्म हो चुकी हैं। अब जब वहां हाथ उन के रक्खो तो मांसपेशियां नहीं मालूम देती। उन बेचारों के कुछ है ही नहीं और अब वह बेचारे क्या फावड़ा चलायेंगे या क्या खोदेंगे अथवा क्या करेंगे? हो सकता है कि इस प्रकार से स्वतन्त्र पार्टी के मेरे साथी लोग कहें कि तब इतनी तो समाजवादी बात मत करो। पहले उन के पेट में अन्न डालो, मांसपेशियां उभर आयेंगी और तब वह फावड़ा चलायेंगे, मिट्टी खोदेंगे तब पानी भी ला सकेंगे और बीज लायेंगे बड़े-बड़े। उनको मैं कहूंगा कि किसी हद तक आप की बात सही है लेकिन उन के पेट में अन्न डालोगे कहां से आई? वह खोदेंगे कहां से? मांसपेशियां तो उनकी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए उन मांसपेशियों को जो खत्म हो चुकी हैं या आधी व तीन चौथाई खत्म हो चुकी हैं अब प्राण दिलाना है। खाली एक ही उपाय है। उन के दिल की दीवाली को जगाना है। दिल की दीवाली खत्म हो चुकी है। भारत के 45 करोड़ आदमियों के दिल की दीवाली हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अगर आप नहीं जगा पाये तो फिर यह कभी नहीं हो पायेगा। यह एक सुनहला मौका आप के सामने पेश है। लेकिन इस वक्त कहीं आप ने श्री मधु लिमये के विधेयक को इसलिए गिरा दिया कि वह विरोधी पक्ष की तरफ से आया है तो बहुत बुरा होगा। इस को आप मानिये। मान कर 45 करोड़ आदमियों को एक सहारा दीजिये और फिर जो भी उन के पास श्रम रह गया हो, बहुत कम श्रम रह गया है, उस श्रम को ले करके एक तरफ तो पानी खेती के लिए और दूसरी तरफ अच्छा बीज, इन दोनों का इस्तेमाल कर के भोजन का इन्तजाम करिये और दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा के जरिए उन को अक्षर ज्ञान दिला कर कम से कम ऐसा मनुष्य बना दीजिये क्योंकि मनुष्य ही अन्त में सब कुछ है। यह तो आप ने जर्मनी का देख लिया, जापान का देख लिया.....

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : इजरायल को देख लीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : इजरायल, मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही इजरायल की जीत पर और मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोग यहां पर खुश हो रहे हैं वह जरा इस पर सोच लें। इस का मतलब होता है यूरोपीय के मुकाबले में हम एशियाई और अफ्रीकी का जूते खोल कर भागना। इसलिए जैसा मैं ने कहा इस पर हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए आखिर को वह यूरोपीय हैं। किसी तरीके से यूरोप से आकर वह बसाये गये हैं हालांकि मैं इजरायल को अब मानता हूं। यहूदियों का पूरा दोस्त हूं। यह मैं आप से बताना चाहता हूं कि यहूदी और इजरायली में एक फर्क करते हुए . . . .

श्री यशपाल सिंह : नसीहत तो दुश्मन से भी हासिल करनी चाहिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह मेरे दुश्मन नहीं हैं वह मेरे दोस्त हैं। मैं उन से दोस्ती रखना चाहता हूं लेकिन खाली यह कहना चाहता हूं कि ठाकुर यशपाल सिंह ने बढ़िया बात कही है कि यह मनुष्य हैं। बन्दूक हो, हवाई जहाज हो यह सब कुछ नहीं है। वह साबित हो गया। एक महीने तक लड़े थे। यह हजरत लोग लाहौर तक नहीं पहुच पाये क्योंकि इन के पैर में मोच आ गई थी लेकिन वह दो दिन में शार्मलशेख तक पहुंच गये। संकल्प उस का कारण है। वह संकल्प भी विधान और दण्ड के साथ चला करता है। और दूसरी तरफ जैसे कि इतनी देर में उठ कर चले गये वित्त मंत्री, खैर उन को समझा देना कि खाली आय व्यय की बात कहते वक्त मैंने जरा कोड़े की बात की थी लेकिन वह कोई शारीरिक कोड़ा नहीं था वह आध्यात्मिक कोड़ा था। वह शायद मतलब गलत समझ गये शारीरिक कोड़ा समझ बैठे इसलिए चले गये होंगे। आध्यात्मिक कोड़े से मेरा मतलब था। उस वक्त जब यह चीज ध्यान में आयेगी कि किस तरीके से हम लोग अपनी इस पूरी ताकत को लगा करके अपने भारत के मनुष्य को ऊंचा उठा कर के कहीं कुछ ले जा सकेंगे तो कुछ हो सकेगा वरना आज जो हालत है उस में हमारे जितने भी संविधान के निदेशांक हिस्से हैं वह बेकार हो गये हैं। फिर मैं यह कहूंगा कि संविधान के निदेशक के हिस्से को निकाल करके उस को फाड़ करके अलग रख देना चाहिए।

श्री जो० भा० कृपलानी (गुना) : फाड़ने के लिए तो रखा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : फिर मैं और आप कृपलानी साहब यह काम करें कि या तो संविधान के उस हिस्से को बिलकुल फाड़ कर अलग कर दें वरना आजादी मिले 20 वर्ष हो गये हैं और संविधान को बने हुए 15 वर्ष हो चुके हैं उस निदेशक हिस्से को.....

श्री जो० भा० कृपलानी : फाड़ दो।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप कहते तो हैं कि फाड़ दो लेकिन फाड़ने में आप मदद बहुत कम करते हो। मुश्किल तो यही है। या तो इसे फाड़ दो या फिर श्री मधु लिमये के विधेयक को आप मान लें बस मुझे इतनी बात आप से निवेदन करनी है।

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : सभापति महोदय, श्री मधु लिमये संविधान के अनुच्छेद 37,35 और 47 में संशोधन करना चाहते हैं और उस हेतु उन्होंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

संशोधन के पीछे जो भावना है मैं उस भावना की पूरी प्रतिष्ठा करता हूं अर्थात् भावना यही है कि अभी इन अनुच्छेदों

के अन्तर्गत जो निदेशक तत्व हैं जिन तत्वों के अन्दर यह संविधान ने उम्मीद की सरकार से वह दस साल के भीतर संविधान प्रारम्भ होने के इस देश में 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देंगे और अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत वह इस देश में पौष्टिक आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे तथा ऐसे मादक द्रव्यों के जिन के कि सेवन से हानि हो उस पर कमी करेंगे। यह जो दो मुख्य उद्देश्य हैं इन का सरकार पालन करेगी। अभी यह निदेशक तत्व के अन्दर है श्री मधु लिमये चाहते हैं कि इन को निदेशक तत्व के अध्याय से हटा कर मौलिक अधिकारों में ले आया जाये। अर्थात अगर सरकार 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा न दे पाये तो इस संशोधन के बाद उसे यह अधिकार हो कि वह किसी न्यायालय में जाकर इसकी मांग करे। अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत अगर सरकार इस देश की जनता को पौष्टिक आहार न दे पाये तो उस को इस संशोधन के बाद यह अधिकार प्राप्त हो कि वह न्यायालय में जाकर इस बात की मांग करे।

16 hrs.

मैं समझता हूं कि इस देश के किसी भी आदमी को इन सिद्धान्तों से कोई भी मतभेद न हों। क्यों कि यह हमारा उद्देश्य है और हम चाहते ह कि इस देश के 14 वर्ष तक के बालकों को हम निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दें। हम चाहते हैं कि देश में जीवन का स्तर ऊंचा हो इस देश के नागरिकों को पौष्टिक आहार मिले हमारे देश में नाशकारी मादक द्रव्यों पर रोक लगाई जाय जिस से हमारा जीवन और स्वास्थ्य ऊपर नहीं उठता है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं, अगर हम देखना चाहें कि वास्तव में अनुच्छेद 45 के अन्दर हम कितनी उन्नति कर पाये हैं, तो सम्भवतः हम श्री मधु लिमये के संशोधन पर ठीक रूप में विचार कर पायेंगे।

हाल के सैंपलिंग सर्वेक्षण के अनुसार देहाती क्षेत्रों में प्राथमिकता शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अभी 6 मई को जो सर्वेक्षण सरकार को मिला है उस के अनुसार 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे जब 1951 में 191.15 लाख थे अर्थात 42 प्रतिशत तब 1966 में वे 512 लाख अर्थात 79 प्रतिशत हैं। 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे जब 1951 में सिर्फ 31.2 लाख अर्थात 12 प्रतिशत थे तब 1966 में वे 107.96 लाख अर्थात 31 प्रतिशत के लगभग थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले वर्षों में हमने शिक्षा के प्रचार का प्रयास किया और प्रगति भी रही। मैं यह नहीं कहता कि इस में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी, अर्थात संविधान के अन्तर्गत हम ने जो निदेशक तत्व रक्खा था कि संविधान के प्रारम्भ होने के दस वर्षों के अन्दर हम ऐसा कर पायेंगे, वह हम कर पाये, लेकिन मैं इस से भी आगे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम ने 79 प्रतिशत सफलता अवश्य प्राप्त की। परन्तु चौथी योजना में हम 6 से 11 वर्ष तक के 190 लाख बच्चे और ला सकेंगे, अर्थात हमारा प्रतिशत 91 हो जायेगा और 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे 80 लाख और आ जायेंगे और हमारी जो प्रतिशत आज 31 का है वह 43 हो जायेगा। मैं कभी नहीं कहता कि चौथी योजना के अन्तर्गत हम 14 वर्ष के शत प्रति शत बच्चों को शिक्षा दे पायेंगे। हम यह अनुमान करते हैं कि चौथी योजना के अन्त तक 91 प्रतिशत बच्चे 6 से 11 वर्ष तक के स्कूलों में आ जायेंगे और 43 प्रतिशत 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे। फिर भी कुछ बाकी रहेंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कि पांचवी योजना के अन्त तक हम शत प्रति शत प्राथमिक शिक्षा और 1985-86 के अन्त तक शत प्रति शत मिडल की शिक्षा कर पायेंगे। इसलिये मैं सदन से कहना चाहता हूं कि अभी वह दिन दूर है, वह लक्ष्य दूर है जिस की कल्पना और जिसका संकल्प किया गया था और जिसका जिक्र डा० खोहिया ने किया था। फर्क सिर्फ

इतना है कि जो संकल्प अभी दूर है उस को श्री मधु लिमये चाहते हैं कि हम मौलिक अधिकारों में ले जायें।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम 1985 तक इतना कर पायेंगे, लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जब एक तरफ हमारा परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है तब 1985 तक इतने बच्चे कहां से आयेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : सभापति जी, पता नहीं माननीय सदस्य इस काम में कितना सहयोग दे रहे हैं, कितना उन्होंने पहले दिया है और कितना भविष्य में देंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार नियोजन कहां तक सफल होगा।

मैं ने सिर्फ यह कहा था कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो संशोधन सदन के सामने है उस पर निश्चय ही विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन प्रश्न यह है कि हम लोगों ने निदेशक तत्वों के अन्दर जो प्रतिज्ञा की, जो संकल्प किया उस को पूरा नहीं कर पाये। इस में कोई दो रायें नहीं हैं कि चौथी योजना के अन्त तक हम 6 से 11 वर्ष तक 91 प्रतिशत बच्चे और 11 से 14 वर्ष तक 43 प्रतिशत बच्चे शिक्षा के अन्दर ले आयेंगे और जो बाकी 7 प्रतिशत रह जाते हैं उन को हम पांचवीं योजना के अन्त तक ला सकेंगे। इसलिये अब यह विचार करने की बात है कि क्या इस को जानने के बाद यह उचित होगा कि संविधान का संशोधन कर के निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों में ला कर हम स्वयं अपना उपहास करें ? क्या यह सम्भव है कि आज देश की जो स्थिति है जो जीवन का स्तर है, उसके अन्दर हम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में ले जाकर पूरी कर पायें ? डा० लोहिया को भी यह बात मालूम है कि हमारे पास लाखों नहीं अरबों रुपया नहीं है कि हम तत्काल इस को मौलिक अधिकारों के अध्याय में ला कर इसे कार्य रूप में परिणत कर सकें।

डा० राम मनोहर लोहिया : 45 करोड़ आदमी हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह बात ठीक है कि हम 45 करोड़ आदमी हैं बल्कि सम्भवतः 50 करोड़।

डा० राम मनोहर लोहिया : पांच करोड़ बड़े आदमियों को हटा दो तो 45 करोड़ है।

श्री भागवत झा आजाद : 45 करोड़ ऐसे आदमी हैं इस में दो राय नहीं हैं। इसमें भी दो रायें नहीं हैं कि आज देश में जो सुविधायें हैं वह इतनी नहीं हैं कि हम इतने साधनों के अन्दर इस देश में अविलम्ब शिक्षा को मौलिक अधिकार में ला कर के 45 करोड़ लोगों को पढ़ा सकें।

इस लिये मेरा विरोध सिद्धान्त पर नहीं है। मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं इस के पीछे छिपी हुई भावना का आदर करता हूं लेकिन मैं संविधान में परिवर्तन कर के निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों में लाकर उस का उपहास नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं जिन के अन्तर्गत हम यह कर पायें।

दूसरी कठिनाई यह है कि आज प्राथमिक स्तर पर जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन अर्थात् व्यर्थता और अवगति है उस को ध्यान में रख कर हम को इस समस्या को देखना पड़ेगा।

तीसरे आप जानते हैं कि आज देश के कुछ इलाकों में लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में कितना कम प्रचार हुआ है। आज इस देश में लड़कियां पांच, आठ या दस दर्जा पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाती लड़कियों के सम्बन्ध में इस समय देश में स्थिति ऐसी है . . . .

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आज लड़कियां प्राइम मिनिस्टर हैं।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय क्या फायदा इन छोटी मोटी बातों के जब कि हम बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जिसकी ओर श्री मधु लिमये ने ध्यान

आकृष्ट किया है। हम को इस तरह की हलकी फुलकी बातों में नहीं पड़ना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों में सिद्धान्त रूप में इस बात पर दो रायें नहीं। इसके पीछे जो भावना है उसके बारे में भी कोई दो रायें नहीं। मैं तो केवल कठिनाइयों का उल्लेख कर रहा हूं कि सरकार किन कारणों से यह नहीं कर पाती। मैंने कहा कि साधनों की कमी है मैंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर वेस्टेज और स्टैग्नेशन अर्थात व्यर्थता और अवगति है। मैंने कहा कि इस देश में ऐसे बहुत से स्थल है। जो कि लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में आज भी पिछड़े हुए है। इस देश में जीवन स्तर ऐसा है कि कुछ वर्ष के बाद लड़कों को उनके अभिभावकों द्वारा वापस बुला लिया जाता है गाय चराने के लिये, ढोर चराने के लिये। वह स्कूलों के अन्दर उन्हें भेज नहीं पाते हैं। हमारे देश में कुछ आदिम कुछ आदिम जातियों की पहाड़ी दुर्गम और जंगली क्षेत्रों में बस्तियां हैं जिनको हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अन्दर नहीं रख पाते है।

यह वास्तविक और व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिन के कारण हम इस बात का समर्थन नहीं कर पाते कि श्री मधु लिमये के इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये प्रचारित किया जाये। । मैं विरोध इसलिये नहीं करता कि मेरा सिद्धान्त से विरोध है मैं इसलिये विरोध नहीं करता कि इसके पीछे भावना अच्छी नहीं है मैं विरोध इसलिये करता हूं कि जिस को हम निदेशक तत्व में रख कर आज तक नहीं कर पाये, उस को मौलिक अधिकारों में रख कर संविधान का संशोधन करके, अपनी असमर्थता दिखला कर उसका उपहास न करने दें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय लिमये जी यह भी चाहते हैं कि जो अनुच्छेद 47 है इसमें भी परिवर्तन किया जाए। अगर किसी नागरिक को पौष्टिक भोजन नहीं मिले तो वह अदालत में जाए। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि इस देश में जनता का जीवन स्तर इतना नीचा है कि अधिकांश लोगों को दो जून भोजन भी नहीं मिल पाता है। जहां पर कम से कम जो भोजन आवश्यक है वह भी न मिलता हो वहां पर निदेशक सिद्धान्तों में संशोधन करके इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ला दें और पौष्टिक भोजन की बात रख दें तो आप समझिये कि यह कितनी असंगत बात होगी। सिद्धान्त रूप में नहीं, भावना के रूप में नहीं लेकिन व्यावहारिक रूप में 47 के अन्दर संशोधन करना मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से सम्भव है।

निदेशक तत्व 47 पौष्टिक भोजन पर भी है जीवन के स्तर पर भी है और हानिकारक मादक पेय और औषधियों पर भी लागू होता है। श्री लिमये चाहते हैं कि सम्पूर्ण अनुच्छेद को ही समाप्त करके केवल पौष्टिक आहार वाली बात को रखा जाए। मैं समझता हूं कि 47 वर्तमान रूप में बहुत ही विस्तृत है और इसके अन्दर हमारा यह उद्देश्य होगा कि हम जीवन स्तर को ऊंचा करें और साथ साथ पौष्टिक आहार भी दें, मादक पदार्थों और नाशकारी पेयों पर भी हम रोक लगायें।

आज की वर्तमान परिस्थिति में जहां जीवन का स्तर इतना नीचा हो, जहां पढ़ाने के लिए साधन भी पूरे प्रतिशत के लिए न हों, मैं इस संशोधन को जनता की राय जानने के लिए भेजने पर सहमत नहीं हो सकता हूं। मुझे दुख है कि व्यावहारिक कारणों से मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि जनता की राय जानने के लिए इसको भेज दिया जाए।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैंने जो प्रस्ताव किया था वह विधेयक को पास करने सम्बन्धी नहीं था जिसके लिए राष्ट्रपति जी ने अपनी अनुमति नहीं दी। मैंने यह प्रस्ताव किया था कि लोकमत जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाए। मैं नहीं समझ पाया हूं इस प्रस्ताव से मन्त्री महोदय क्यों इतना डरते

[श्री मधु लिमये]

हैं। यह चीज व्यावहारिक है या नहीं इसका भी तभी पता चलेगा जब लोग इसके ऊपर विचार करेंगे विभिन्न राज्य सरकारें विचार करेंगी शिक्षण संस्थायें विचार करेंगी नागरिकों के दूसरे समूह इसके ऊपर विचार करेंगे।

इन्होंने कहा है कि अरबों रुपया इस विधेयक के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में लग जाएगा। इस में दो राय नहीं है कि आज आपका जो अर्थ संकल्प है उस में तो पचास अरब से अधिक रुपया आप लगा ही रहे हैं। राज्य सरकारों का रुपया भी आप मिला दीजिये तो जो कुल खर्चा होगा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए मैं समझता हूं कि उसका बोझ इतना ज्यादा नहीं होगा कि जिस को हमारा देश सह नहीं पाएगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो चतुर्थ योजना बनाई है उस में इनके कहने के अनुसार 1981 तक ये निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित नहीं कर पायेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा है कि 1981 तक हम कार्यान्वित करेंगे यह कहा है कि हर हालत में 1981 तक ये कार्यान्वित नहीं हो पाएंगे। इस तरह अगर आप इनको छूट देंगे और केवल निदेशक सिद्धान्तों और प्रस्तावों तथा प्रेरणाओं की ही हम बात करते रहेंगे तो मुझे डर है कि 1981 तो क्या 21 वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी फिर भी हमारा जो उद्देश्य है उस में हम सफल नहीं हो पायेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प करके, जम करके हम को फैसला करना पड़ेगा।

26 जनवरी 1968 की तिथि से अगर उनका मतभेद है तो उनकी सुविधा के लिए यह तिथि और बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन कोई न कोई समय निश्चित करके काम कीजिये ताकि हम आपकी गर्दन पकड़ सकें। अगर आप तब नहीं रहेंगे तो जो रहेगा उसकी गर्दन हम पकड़ सकेंगे और यह कह सकेंगे कि यह संकल्प है, यह संवैधानिक अधिकार है अगर इसको कार्यान्वित नहीं किया गया तो हम अदालत के सामने जायेंगे और हमारे इस अधिकार को कार्यान्वित करवायेंगे लेकिन इसके लिए भी ये तैयार नहीं हैं।

जहां तक खाने का सवाल है मैं मानता हूं कि इसको तो इन्हें तत्काल कबूल कर लेना चाहिये क्योंकि चुनाव के पहले बड़े जोर से चर्चा थी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार की यह विशेषता है कि दो साल लगातार दुर्भिक्ष होते हुए भी एक भी आदमी को इसने भूख से मरने नहीं दिया। जब आप किसी को भूख से मरने नहीं देते हैं और ये गैर-कांग्रेसी सरकारें भी आपके रास्ते पर चल पड़ी हैं और यह कह रही हैं कि कोई भूख से नहीं मर रहा है तो इसको मानने से आप इन्कार क्यों करते हैं? लोग मर रहे हैं भूख से लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारें भी आपकी सीख ले कर कह रही हैं कि नहीं मर रहे हैं। आपकी सीख उनके गले उतर गई है। ये लोग भी इन्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार या बिहार की सरकार कह रही कि कोई नहीं मर रहा है। मैं स्वयं जानता हूं.....

एक माननीय सदस्य: ये तो आपकी सरकारें हैं।

श्री मधु लिमये: मैं कह रहा हूं खुद इसको। आपने वातावरण को ऐसा गंदा बना दिया है कि सत्य कोई बोलना ही नहीं चाहता। मैं अपनी सरकारों की भी आलोचना करना चाहता हूं। इस में घबराने की क्या बात है?

मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भूख से नहीं मर रहा है तो फिर क्या वजह है कि यह कानूनी अधिकार आप जनता को नहीं देना चाहते हैं? दोनों में कहीं न कहीं असत्य छिपा हुआ है। या तो लोग भूख से मर रहे हैं, आप इसको कबूल नहीं कर रहे हैं और अगर भूख से नहीं मर रहे हैं तो फिर मेरे संशोधन को आप की स्वीकार कर लेने में क्यों हिचक हो रही है?

इन्होंने नशाबन्दी और शराबबन्दी की बात कही है। मैं इसको निदेशक सिद्धान्तों में से क्यों हटाना चाहता हूं? कारण यह है कि बीस साल हो गए, जिस ढंग से इस पर अमल हो रहा है, इस में बहुत ज्यादा ढोंग है, अवगति है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार राज्य करती है। दिल्ली में भी आप नशाबन्दी नहीं कर पाये हैं, सेना में नहीं कर पाये हैं। असैनिक-सैनिक का भेद आप बराबर रखते हैं। दिल्ली राजधानी का शहर होते हुए भी यहां नशाबन्दी नहीं की गई। खुद कांग्रेसी सरकारों ने चीनी आक्रमण के बाद नशाबन्दी कानून में ढील की। महाराष्ट्र में कानून ढीला हो रहा है। केरल की गैर-कांग्रेसी सरकारों ने तो ईमानदारी से इनको खत्म ही कर दिया है। ढंग से तो ईमानदारी अच्छी है। जो चीज आप इच्छा होते हुए भी नहीं रहे हैं, या जो आप कर नहीं सकते हैं उसको उन्होंने कर दिया है। इससे हथभट्टी, अपराध, रिश्वतखोरी, पुलिस जुल्म, गुंडागर्दी सभी शहरों में बढ़ रहे हैं। ऐसे सिद्धान्त को रखने से क्या लाभ? इसलिए मैंने नशाबन्दी को निदेशक सिद्धान्तों से हटाने की बात की।

श्री त्रिगुण सेन भी आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि वह भी इस पर विचार करें। इस संशोधन के पीछे जो भावना है उससे अगर आप सहमत हैं तो फिर कम से कम लोकमत जानने के लिये जो मेरा प्रस्ताव है उसका आप विरोध न करें। लोगों को आप सोचने का मौका दें। लोकमत के बारे में जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इतना ही मुझ इस अवसर पर कहना है।

16.20 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Speaker: I will now put the question to the vote of the House. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1967."

The Lok Sabha divided:

An hon. Member: Sir, my vote has not been recorded by the machine.

Another hon. Member: Mine also has not been recorded.

Mr. Speaker: Everything will be taken into account.

Division No. 4] **AYES** **[16.23 hrs.**

Amat, Shri D.
Atam Das, Shri
Basi, Shri S. S.
Berwa, Shri Onkar Lal
Bhadoria, Shri Arjun Singh
Bramhanandji, Shri
Chakrapani, Shri C. K.
Chandra Shekhar Singh Shri
Deo, Shri K. P. Singh
Deo, Shri P. K.
Dhirendranath, Shri
Esthose, Shri P. P.
Goel, Shri Shri Chand
Gopalan, Shri A. K.
Gopalan, Shri P.
Gupta, Shri Indrajit
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri S. C.
Kachwai, Shri Hukam Chand
Kalita, Shri Dhireswar
Kandappan, Shri S.
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kripalani, Shri J. B.
Kunte, Shri Dattatraya
Limaye, Shri Madhu
Mangalathumadom, Shri
Manoharan, Shri
Meetha Lal, Shri
Menon, Shri Vishwanatha
Misra, Shri Srinibas
Mody, Shri Piloo
Mohammed Imam, Shri
Molahu Prasad, Shri
Naidu, Shri Ramabadra
Naik, Shri G. C.
Nath Pai, Shri
Nayanar, Shri E. K.
Patil, Shri N. R.
Patodia, Shri D. N.
Ramamoorthy, Shri P.
Ramani, Shri K.
Ranjit Singh, Shri
Ray, Shri Rabi
Reddy, Shri Eswara
Sambhali, Shri Ishaq
Sequeira, Shri
Shah, Shri Virendrakumar
Sharda Nand, Shri
Sharma, Shri B. S.
Sharma, Shri N. S.
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Sheopujan
Somasundaram, Shri S. D.
Sreedharan, Shri A.
Viswambharan, Shri P.

NOES

Ahirwar, Shri Nathu Ram	Jagjiwan Ram, Shri	Randhir Singh, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha	Kahandole, Shri Z. M.	Rane, Shri
Babunath Singh, Shri	Kamble, Shri	Rao, Shri K. Narayana
Bajpai, Shri Vidya Dhar	Kamala Kumari, Kumari	Rao, Shri Muthyal
Barua, Shri Bedabrata	Kavade, Shri B. R.	Rao, Shri Rameshwar
Barua, Shri R.	*Kedaria, Shri C. M.*	*Rao, Shri Thirumala*
Bhakt Darshan, Shri	Khadilkar, Shri	Roy, Shri Bishwanath
Bhandare, Shri R. D.	Khan, Shri M. A.	Roy, Shrimati Uma
Chaturvedi, Shri R. L.	Kinder Lal, Shri	Salve, Shri N. K. P.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh	Laskar, Shri N. R.	Sanghi, Shri N. K.
Chavan, Shri D. R.	Mahishi, Dr. Sarojini	Sankata Prasad, Dr.
Deoghare, Shri N. R.	Malimariyappa, Shri	Sarma, Shri A. T.
Desai, Shri Morarji	Mane, Shri Shankarrao	Sen, Shri Dwaipayan
Deshmukh, Shri B. D.	Masuriya Din, Shri	Sethuramae, Shri N.
Ering, Shri D.	Menon, Shri Govinda	Shambhu Nath, Shri
Gandhi, Shrimati Indira	Mirza, Shri Bakar Ali	Sharma, Shri D. C.
Ganesh, Shri K. R.	Mishra, Shri Bibhuti	Shashi Ranjan, Shri
Ganga Devi, Shrimati	Mishra, Shri G. S.	Shastri, Shri B. N.
Ganpat Sahai, Shri	Mrityunjay Prasad, Shri	Sheo Narain, Shri
Gavit, Shri Tukaram	Nageshwar, Shri	Shinkre, Shri
Ghosh, Shri Bimalkanti	Pahadia, Shri	Shukla, Shri S. N.
Gupta, Shri Lakhan Lal	Parmar, Shri Bhaljibhai	Snatak, Shri Nar Deo
Gupta, Shri Ram Kishan	Patil, Shri S. D.	Solanki, Shri S. M.
Hem Raj, Shri	Prasad, Shri Y. A.	Sonar, Dr. A. G.
Himatsingka, Shri	Rajasekharan, Shri	Sunder Lal, Shri
Jadhav, Shri V. N.	Ram, Shri T.	Tiwary, Shri D. N.
Jaggaiah, Shri K.	Ram Kishan, Shri	Uikey, Shri M. G.
	Ram Subhag Singh, Dr.	Vikram Chand, Shri
	Ram Swarup, Shri	Virbhadra Singh, Shri

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): This system should be corrected. It is most scandalous.

श्री मधु लिमये : इन ने उपाध्यक्ष को तो करीब करीब खत्म ही कर दिया था।

Mr. Speaker: It used to be very good last time.

Shri Hardayal Devgun: From this you can judge the state of affairs in the country.

Mr. Speaker: The result is the same. here may be ten more this side or that side. We will get it tested.

Shri Hardayal Devgun: The is how the Government is functioning in the country.

Mr. Speaker: The result of the division is:

Ayes*	.. 59
Noes	.. 85

The motion is lost.

The motion was negatived.

16.27 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 368)

by Shri Nath Pai.

Shri Nath Pai (Rajpur): Mr. Speaker: Sir, my Bill is for amending the Constitution.

Sir, for ready reference I should like to read here the statement of objects which I have appended to my Bill.

*Ayes: name of one Member could not be recorded.